भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3026
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालयों के लिए अवसंरचना

3026. श्री सौमित्र खान :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मनरेगा के अंतर्गत पंचायत स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन भुगतान में विलंब से संबंधित मामलों को ग्राम न्यायालय और मोबाइल न्यायालयों के माध्यम से निपटाने का है।

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सहित संपूर्ण देश में कार्यरत ग्राम न्यायालयों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है ;

(ग) क्या ग्राम न्यायालय मूलभूत अवसंरचना की कमी के कारण ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ग्राम न्यायालयों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितना बजट आवंटित और व्यय किया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जी नहीं । ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, जो 2 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी हुआ था, का उद्देश्य नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय तक सस्ती और त्वरित पहुँच प्रदान करना है। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3 (5) के अनुसार, राज्य सरकारें अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के रैंक के एक अधिकारी की न्यायाधिकारी के रुप में नियुक्ती करती हैं, जिससे जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, चल न्यायालय आयोजित करने की आशा की जाती है। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तत्वावधान में, 2009 में "ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता" नामक एक योजना आरंभ की गई थी और ग्राम न्यायालय योजना को चलाने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए थे। आज तक, 15 राज्यों ने 488 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित करके ग्राम न्यायालय योजना को लागू किया है, जिनमें से योजना के आरंभ से 11 राज्यों में 313 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं। पश्चिमी बंगाल राज्य में कोई ग्राम न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है। अधिसूचित और चालू ग्राम न्यायालयों का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्रं. सं.	राज्य का नाम	अधिसूचित ग्राम न्यायालय की संख्या	कार्यरत ग्राम न्यायालय की संख्या
1	मध्य प्रदेश	89	89
2	राजस्थान	45	45
3	केरल	30	30

4	महाराष्ट्र	39	26
5	ओडिशा	31	21
6	उत्तर प्रदेश	113	93
7	कर्नाटक	2	2
8	हरियाणा	3	2
9	पंजाब	9	2
10	झारखंड	6	1
11	गोवा	2	2
12	आंध्र प्रदेश	42	0
13	तेलंगाना	55	0
14	जम्मू-कश्मीर	20	0
15	लद्दाख	2	0
कुल		488	313

जहां तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 के अधीन मजदूरी के भुगतान में देरी से संबंधित विवादों के निपटारे का प्रश्न है, मनरेगा अधिनियम की धारा 30, अनुसूची 1 के माध्यम से विद्यमान दिशा-निर्देश राज्यों को प्रत्येक जिले के लिए ओम्बुड़सपरसन नियुक्त करने का आदेश देते हैं, ताकि समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायतें प्राप्त की जा सकें, जांच की जा सके और पंचाट पारित किए जा सकें। इलेक्ट्रॉनिक (ओम्बुड़सपरसन ऐप) के साथ-साथ भौतिक तरीके से भी शिकायतें प्राप्त करने के उपबंध हैं।

(ग) और (घ) : अवसंरचना ही एकमात्र मुद्दा नहीं है जो ग्राम न्यायालयों के प्रदर्शन में बाधा डाल रहा है। अध्ययनों से अन्य कारक भी सामने आए हैं, जैसे कई राज्यों में न्यायाधिकारियों के पद न भरा जाना, सरकारी अभियोजकों, नोटरी की अनुपलब्धता और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों की सामान्य कमी, ग्राम न्यायालयों का सीमित वित्तीय अधिकार क्षेत्र, अपर्याप्त कर्मचारीवृंद, राज्यों से अपर्याप्त वित्तीय सहायता, विधिक और राज्य प्राधिकारियों की अनिच्छा और सामुदायिक जागरूकता की कमी। इसके अतिरिक्त, नियमित न्यायालयों के साथ क्षेत्राधिकार की अतिव्याप्ति होना कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालयों के संबंध में धीमी गति से आगे बढ़ने का एक और कारण है। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों में पंचायत स्तर पर काम करने वाली ग्राम न्यायालयों की अपनी समानांतर प्रणालियाँ हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, राज्य सरकारों के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना को अनिवार्य नहीं बनाता है ।

स्कीम के आरंभ होने से अब तक राज्यों को 8340.00 लाख रुपए की राशि की जारी की जा चुकी है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 और 2023-24) में 28 करोड़ रुपये की रकम आवंटित की गई, जिसमें से 8.80 करोड़ रुपये जारी किए गए।

****